

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना


राँची, दिनांक 12.09.2018

संख्या-1/पी0-102/2014 का०- 7029 /भारत के माननीय प्रधान मंत्री के दिनांक 23.09.2018 को राँची परिदर्शन के क्रम में न्यायाचार एवं विधि व्यवस्था कार्य हेतु भा.प्र.से. के निम्न पदाधिकारियों की दिनांक 17.09.2018 से 23.09.2018 तक राँची जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-21 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है :-

1. श्रीमती अंजली यादव, भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त, खूँटी
2. श्री आदित्य रंजन, भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त, चाईबासा
3. श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त, सिमडेगा
4. श्री नमन प्रियेश लकड़ा, भा.प्र.से., उप विकास आयुक्त, गढ़वा
5. श्री उत्कर्ष गुप्ता, भा.प्र.से., परीक्ष्यमान, खूँटी
6. श्री तारा चन्द्र, भा.प्र.से., परीक्ष्यमान, पलामू


2. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 17.09.2018 को उपायुक्त, राँची के कार्यालय में निश्चित रूप से रिपोर्ट करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।


ज्ञापांक-1/पी0-102/2014 का० - 7029 /राँची, दिनांक 12.09.2018

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-1/पी0-102/2014 का० - 7029 /राँची, दिनांक 12.09.2018

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/ अपर मुख्य सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/उपायुक्त, राँची/खूँटी/चाईबासा/सिमडेगा/गढ़वा/पलामू/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।